



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2013/फाल्गुन 3, 1934

No.107]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2013/PHALGUNA 3, 1934

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 118(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया) नियम, 2010 को संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2013 कहा जाएगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया) नियम, 2010 में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“8. पीठासीन अधिकारी का निलंबन.—नियम 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और उक्त नियम के अनुसार की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध लंबित जांच के दौरान, पीठासीन अधिकारी के चयन के लिए गठित चयन समिति के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, इस बात से संतुष्ट होने पर कि पीठासीन अधिकारी के रूप में उसे कार्य करने से रोका जाना चाहिए, पीठासीन अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी कर सकती है ।”

[फा. सं. 14/2/2010-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 12 जुलाई, 2010 को सा.का.नि. 595(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2010 के तहत प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. 920(अ), दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 के द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st February, 2013

G.S.R. 118(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 15, read with clause (b) of sub-section (2) of Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Debts Recovery Tribunal (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Presiding Officer) Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Presiding Officer) Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Tribunal (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Presiding Officer) Rules, 2010, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely :—

“8. Suspension of Presiding Officer.—Notwithstanding anything contained in rule 4 and without prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the Central Government, during pendency of the inquiry against Presiding Officer may, after consulting the Chairperson of the Selection Committee constituted for selection of Presiding Officer, pass an order suspending the Presiding Officer, if it is satisfied that he should cease to discharge his functions as a Presiding Officer.”.

[F. No. 14/2/2010-DRT]

ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 12th July, 2010, *vide*, G.S.R. 595(E), dated the 7th July, 2010 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 920 (E), dated 19th December, 2012.